सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 137/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. जमनी पत्नि श्री गोकल
2. सूरजमल पुत्र भैरू
3. छीतर पुत्र गोकल

समस्त जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकडी जिला अजमेर

————प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. भूला पत्नि हरनाथ
2. सत्यनारायण पुत्र हरनाथ
3. घीसी पुत्री हरनाथ

समस्त जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकडी जिला अजमेर

4. बडोदा राज.क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कालेडा कृष्ण गोपाल तह. केकडी जर्येशाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

——————अप्रार्थीगण

6. हेमराज पुत्र गोकल जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकडी जिला अजमेर
7. आशा पुत्री गोकल पत्नि मुन्नालाल जाति बैरवा निवासी मोलकिया तहसील केकडी जिला अजमेर हाल निवासी कासीर तह.देवली जिला टोंक

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.5.18

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है—

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम मोलकिया के जमाबन्दी संवत 2016—2019 के खाता संख्या 26 में खसरा नम्बर 184 खातेदार भुवाना पुत्र बरदा कौम चमार के नाम दर्ज हे। उक्त आराजीयात के जमाबन्दी स. 2069—72 के अनुसार खाता स. 115 के खसरा नम्बर 316 दर्ज रिकॉर्ड हे। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पूर्वज भुवाना पुत्र बरदा के खातेदारी ,कब्जे काश्त , आधिपत्य , उपयोग ,उपभोग की थी। श्री बरदा के निधन के बाद आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रर्फोर्मा अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त ,आधिपत्य ,खातेदारी उपयोग उपभोग में बदस्तुर चली आ रही है।

भुवाना फोत का सजरा निम्नानुसार हैः—

1. भैरू पुत्र भुवाना फोत, रामा अविवाहित पुत्र भुवाना फोत, गोकल पुत्र भुवाना फोत , लादी पुत्री भुवाना ,
2. सूरजमल पुत्र भैरू
3. जमनी पत्नि गोकल , छीतर पुत्र गोकल, हेमराज पुत्र गोकल,आशा पुत्री गोकल

स्व.भुवाना की पुत्री लादी ने अपना हिस्सा अपने भजीये सूरजमल के नाम हकत्याग कर दिया है। वर्तमान में उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य खातेदारी में चली आ रही है। जिसमें अप्रार्थी गण या किसी अन्य दिगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है। अपार्थीगण की बदनियत से दिनांक 15.7.16 को अप्रार्थी स. 1 लगायत 3 प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की आराजीयात में अनाधिकृत रूप से घुसकर उसे आराजी में न आने की धमकी देते हुये आराजी को कब्जा कर विक्रय करने की धमकी देने लगे जिसके कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्राथीग्ण की आराजीयात में कब्जे उपयोग ,उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें एवं उक्त वादग्रस्त आराजीयात को किसी प्रकार से विक्रय या बख्क्षीस इत्यादि न करें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। आज पत्रावली केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया में पेश हुई जहां प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपस्थित हुए।

उपस्थित पक्षकारान को सुनने के बाद जाहिर हुआ कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी आराजीयात है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन लडाई झगडे करना , उपयोग, उपभोग ,में बाधा उत्पन्न न करने हेतु जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगणो को पाबन्द कराना चाहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायात 3 को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थनापत्र वर्णित वाके वाके ग्राम मोलकिया के जमाबन्दी संवत 2016–2019 के खाता संख्या 26 में खसरा नम्बर 184 खातेदार भुवाना पुत्र बरदा कौम चमार के नाम दर्ज हे। उक्त आराजीयात के जमाबन्दी स. 2069–72 के अनुसार खाता स. 115 के खसरा नम्बर 316 भूमि का मूल वाद विचाराधीन होने तक प्रार्थीगण व प्रफॉर्मा अप्प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे साथ ही किसी विक्रय या बख्क्षीस इत्यादि कार्य न करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी